(प्रति)

पत्र संख्या- 11691

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रषक,

श्री जी०डी० मुखर्जी, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त / बन्दोबस्त पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 9 नवम्बर, 1983

विषय :- सरकारी सेवकों के विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या- 11925 दिनांक 21.6.1978 के क्रम में मुझे कहना है कि उक्त परिपत्र के आलोक में निर्गत विमुक्ति आदेशों में एकरूपता का अभाव, अनुकम्पा एवं विशेष परिस्थिति का आधार क्या हो, विमुक्ति आदेश कब से प्रभावी हो, विमुक्ति का लाभ अराजपत्रित पदाधिकारियों को भी दी जाए या नहीं, इन सभी बिन्दुओं का उक्त परिपत्र में स्पष्टतः उल्लेख नहीं रहने के कारण आये दिनों सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः सरकार ने इस मामले पर भली-भाँति विचार करने के पश्चात निम्नांकित निर्णय लिया है :-

1. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति का आदेश उन राजपत्रित / अराजपत्रित सभी सरकारी सेवकों पर ल[illegible] होगा, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

2. जिस तिथि से विमुक्ति का आदेश निर्गत किया जाएगा, उसी तिथि से विमुक्ति का आदेश प्रभावी होगा ।

3. विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने का लगातार [illegible] किया परन्तु असफल रहे अथवा सरकारी कारणों के चलते परीक्षा में भाग नहीं ले स[illegible] ।

4. परीक्षा से बरी करने का प्रतिकूल प्रभाव कार्यक्षमता पर नहीं पड़े इसे ध्यान में रखकर विमुक्ति [illegible] ही अभ्यर्थी को दी जाए, जिनकी चरित्र-पुस्ति / अभ्युक्तियां अच्छी हों, कार्य संतोषप्रद रहा हो, कोई भी वि[illegible] या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा जिन्हें सेवाकाल में कोई दंड नहीं मिला हो ।

5. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति प्रदान करने का अधिकार ऐच्छिक होगा अनिवार्य नहीं ।

6. विमुक्ति का आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से पारित होगा ।

7. सम्बद्ध विभाग द्वारा विमुक्ति आदेश पारित करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार सरकारी सेवकों के विभागीय परीक्षा से विमुक्ति [illegible] पर विचार किया जाए एवं इस आदेश की सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दे दी जा[illegible] ।

विश्वासभाजन,

(जी० डी० [illegible])

[illegible] संयुक्त [illegible]